(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मो. रईस बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 430/2022	
02-01-2023	अपीलार्थी मो. रईस पुत्र मो.शफी, पता रूपावतों का बास, शफी बिल्डिंग सूरसागर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.11.2022 में (1) बहुचर्चित सुनियोजित साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में मो.रईश पुत्र मो.सफी, सनवर हुसैन पुत्र मो. साबिर द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र व रिवादों पर की गई कार्यवाही व जांचं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुरां) से जरिये पत्रांक 2495 दिनांक 26.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का आवेदन पत्र की छाया प्रति धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 2194 दिनांक 23.11. 2022 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु सूचना न्यायिक अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अपनी रिपोर्ट में सूचना का अधिकार अधि. की धारा 5(5) के प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए उन्हें सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने की इस्तदुआ की गई। चूंकि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी , न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	